बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या : पी.आर. 123 /2023 दिनांक 27 /05/2023

ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी0एल0एड0 कोर्स संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधितों को डी.एल.एड. परीक्षा वर्ष, 2023 हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र से संबंधित तृतीय डमी प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति की प्रसारित विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 81/2023, पी0आर0 91/2023 एवं पी0आर0 113/2023 द्वारा दिनांक 06.04.2023 से 15.05.2023 तक की अवधि में ऑनलाईन माध्यम से जमा किये गये परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाईट **http://secondary.biharboardonline.com/** पर **दिनांक 29.05.2023 से 01.06. 2023 तक** त्रुटि संशोधन हेतु अपलोड रहेगा। उक्त अवधि में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों का डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाईट से तीन प्रति में डाउनलोड कर दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित विधार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

2. डमी प्रवेश पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने महाविद्यालय प्राचार्य को उपलब्ध करा देंगे। त्रुटि सुधार हेतु हस्ताक्षर के साथ प्राप्त डमी प्रवेश पत्र को महाविद्यालीय अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही महाविद्यालय प्राचार्य पोर्टल पर वांछित संशोधन करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् त्रुटि में सुधार हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

3. विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 81/2023, पी0आर0 91/2023 एवं पी0आर0 113/2023 के क्रम में सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन जमा किए गए परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित कतिपय महाविद्यालयों द्वारा जिन विद्यार्थियों का निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है, उनका भी डमी प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य लंबित शुल्क दिनांक 29.05.2023 से 01.06.2023 तक की अवधि में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु समिति का पोर्टल खुला रहेगा। उक्त अवधि में विहित शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों का मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप यदि विद्यार्थी हित के प्रतिकूल कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

27/5/23

परीक्षा नियंत्रक (विविध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : टी0टी0प्रे0 200/2023 पटना, दिनांक : 27/05/2023